

25/11/2020

गुजरात के केवडिया में आयोजित किए जा रहे भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 80वें सम्मेलन के दौरान भाषण

आज भारत की विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 80 वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सभा में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। गुजरात की पावन भूमि केवडिया में सरदार सरोवर के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा की छत्रछाया में एकत्रित होना एक अद्भुत अनुभव है।

गुजरात आधुनिक भारत के निर्माता एवं हमारे देश के लोकतंत्र के सूत्रधार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महापुरुषों की धरती है जिनकी प्रेरणा से हमारे संविधान की रचना की गई थी। हमारा संविधान एक संपूर्ण दर्शन ग्रंथ है, जिसे संविधान सभा द्वारा आज से 71 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था।

आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में, मैं अपनी और यहां उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ।

विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में यह हम सबके लिए उपयुक्त अवसर है कि हम इस संविधान दिवस पर अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों पर विचार करें और अपने महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लें। हम सभी देश की जनता के हितों, चिंताओं, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। एक सशक्त, किंतु संवेदनशील विधायिका भी इसी संविधान की अनुपम देन है। इस संविधान ने देश की संसद और राज्यों की विधान मंडलों को जन भावनाओं के अनुरूप काम करने का आधार प्रदान किया है। अतः एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति तक के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।

संविधान के जनक डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक लोकतंत्र के सपने को पूरा करने के लिए विधायिका को और अधिक सक्रियता दिखानी होगी।

यह विधायिका का दायित्व है कि सदन में अभिव्यक्त जन भावनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करे तथा कार्यपालिका को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

इस सम्मेलन में विचार-विमर्श हेतु हमने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श समन्वय के विषय को चुना है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व और देश में लोकतंत्र के सतत विकास के लिए यह विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है।

हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण ही है। अपनी-अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हैं। आइये, इस अवसर पर हम नयी ऊर्जा के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ओर से किया गया छोटा-सा प्रयास भी नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

मुझे पूरी आशा है कि यहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के रचनात्मक योगदान से इस सम्मेलन में सार्थक और लाभप्रद चर्चा होगी। लोकतंत्र की इस लंबी यात्रा में संस्थाओं के कार्यकरण में कुछ मतान्तर सामने आए हैं जो स्वाभाविक हैं। हम संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं में सुधार करके उनका समाधान निकालेंगे।

विषम परिस्थितियों में भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।
